किशन बनाम मांगीलाल

दिनांक हुक्म	कार्यवाही
20/9/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। वादी भी अनुपस्थित। न्यायालय समय में रेवक-रेवक कर तीन घंटे तक आवाज पुकारवाई गई, कोई उपस्थित नहीं हुआ। इनके पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी को शेष प्रतिवादीगण की तलबी पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर एवं दि. 29.8.22 को अन्तिम अवसर प्रदान करने के बावजूद भी तलबी पेश नहीं की गई, ना ही कारणों से अवगत कराया गया। अतः न्यायालय अन्तर्गत आदेश 9 नियम 3 व 5 सीपीसी वाद खारिज करना उचित समझता है। अतः वाद खारिज किया जाता है। पक्षकार फैसल शुमार होकर वाद लंबित लंबित कायम हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़